

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

सं० 119/19 ता० रजु. 26.1.19 किरम मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 15.1.2020

सरकार

बनाम

बल्ला प्रताप मोहरसिंह

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपुरा मन्का ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कपुरा मन्का के खसरा नम्बर 659 रकदा 0.10 हैक्ट. किस्म भूमि पारागाह पर सम्बत 2076 में श्री बल्ला प्रताप मोहरसिंह मुनि सा. कपुरा मन्का तह० बयाना ने 0.10 अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा अपने जबाब में स्वयं का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुनः जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भूअ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भूअ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब भूअ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 659 रकदा 0.10 हैक्ट. वाके ग्राम कपुरा मन्का से बेदखल किया जाता है। लगान 0.40 का 50 गुणा पैन्टली राशि 20 रुपये से दण्डित किया जाता है। पैन्टली की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैन्टली वसूली खडी फरस को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फौसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 15.1.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 4/2/20 20/19-20
न्यायालय में सुनाया गया

तहसीलदार
बयाना